APPLICATION FORM FOR LOAN/OVERDRAFT AGAINST GOLD
साने पर लाने आवे रड्राफ्ट के लिए आवदे न फॉर्म

AU SMALL FINANCE BANK

Loan Account No / लोन अकाउंट न ________________

Branch Code / शाखा कोड ________________________

Branch Name / शाखा का नाम ________________________

Packet ID / पैकेट आईडी ________________________ Referral Code / रेफरल कोड ____________

Type of facility : Bullet ☐ Monthly ☐ / सुविधा का प्रकार: बुलेट ☐ मंथली ☐

Place / स्थान ________________________

Date / तिथि ________________

Personal Details of Applicant / आवेदक का व्यक्तिगत विवरण

Mr. श्री ☐ Ms./Mrs सुश्री ☐

Applicant's Name / आवेदक का नाम ________________________

Borrower's Photo (Sign across)
उधारकर्ता का फोटो (आरपार हस्ताक्षर)

DOB (DD / MM / YYYY)
जन्म तिथि (दिन/ माह/ वर्ष)

Gender: लिंग ☐ Male पुरूष ☐ Female स्त्री ☐ Transgender ट्रांसजेंडर ☐

Category: स्वंग: General सामान्य ☐ Schedule caste अनुसूचित जाति ☐ Schedule Tribe अनुसूचित जनजाति ☐ OBC ओबीसी ☐ Minority अल्पसंख्यक ☐ Others अन्य ☐

PAN No पैन नं ☐ Form 60 फॉर्म 60 ☐

Permanent (local) Address / स्थायी (स्थानीय) पता ____

____

City शहर ________________ State राज्य ________________ Pin Code पिन कोड ________________

Mobile मोबाइल ________ E-Mail ई–मेल

Communication Address / पत्राचार का पता ______

____

City शहर ________________ State राज्य ________________ Pin Code पिन कोड ________________

Mobile मोबाइल ________________ E-Mail ई–मेल ________________________________

Marital Status: **वैवाहिक स्थिति:** Single अकेला ☐ Married विवाहित ☐ Widowed विधवा ☐ Separated अलग किए ☐

Residential Ownership: **आवास का स्वामित्व** Own अपना ☐ Rental किराए का ☐ Others अन्य ☐ (Please Specify) (कृपया स्पष्ट करें)

Education: **शिक्षा** Below Matriculation मैट्रिक से कम ☐ Undergraduate अंडर ग्रेजुएट ☐ Graduate ग्रेजुएट ☐ PG पीजी ☐ Others (Please Specify) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

Applicant Employment / आवेदक का रोजगार विवरण

Details: विवरण ________ **Annual Income (INR):** ________ **वार्षिक आमदनी (रू):.........**

Purpose of Loan/overdraft facility / लोन / ओवरड्राफ्ट सुविधा का प्रयोजन

- ☐ Agriculture and Allied / खेती तथा संबंधित
- ☐ Trading / व्यापार
- ☐ Service / सर्विस
- ☐ Manufacturing / उत्पादन
- ☐ Animal Husbandry / पशु पालन
- ☐ Education / शिक्षा
- ☐ Repay Loan to Informal Sector / अनौपचारिक क्षेत्र के लोन को चुकाना
- ☐ Others (Please Specify) / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

Nomination

Nomination in respect of gold jewellery/ ornament/ gold security pledged and in the custody of AU Small Finance Bank Limited.
I……………………………………………….of… ....nominate the following person to whom in the event of my death, the gold security pledged and in the custody of AU Small Finance Bank Limited., particulars whereof are given below, may be returned by AU Small Finance Bank Limited. upon payment of outstanding amount in full subject to required documents submitted at the time of claim by the nominee.

Nominee's Name .... Address ....

Relationship with Applicant………..……………..Age…………..If Nominee is Minor Her/His DOB…../……./………...

As the nominee is minor on this date I/We appoint (Guardian) Name...

Address ....

I confirm that this nomination shall override any other disposition made by me, whether testamentary or otherwise and the nominee shall become entitled to the return of the Gold security pledged and in the custody of AU Small Finance Bank Limited. against payment of all outstanding to AU Small Finance Bank Limited. exclusion of all other person. Further to this, I confirm that on such return AU Small Finance Bank Limited. shall stand released and discharged.

Ownership Declaration

I, Mr./Ms. ....hereby declare that the ornament/s referred to herewith belong to me and I am the owner of the same.

The gold provided by me is Ancestral ☐ Gifted ☐ Self Purchased ☐ (Tick whichever is applicable).

नामांकन

नामांकन बंधक तथा एयू स्मॉल फायनांस बैंक लि. की कस्टडी में रखे गए सोने की ज्वेलरीध् आभूषणध् गोल्ड सिक्योरिटी के संबंध में नामांकन.

में .... सुपुत्र ....निम्नलिखित व्यक्ति को एयू स्मॉल फायनांस बैंक लि. की कस्टडी में रखी तथा गोल्ड सिक्योरिटी बंधक को, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, को मेरी मृत्यू की स्थिति में एयू स्मॉल फायनांस बैंक लि. द्वारा, उन्हे पूरी बकाया राशि को लौटाए जाने पर तथा नामित द्वारा दावा किए जाते समय अपेक्षित कागजात पेश किए जाने के अधीन, सौंप दिए जाने के लिए नामित करता हूं,

नामित व्यक्ति का नाम पती .... आवेदक के साथ संबंध .... डम.....................अगर नामित व्यक्ति नाबालिग है तो उसकी जन्म तिथि .... चूंकि इस तिथि को नामित व्यक्ति नाबालिग है, मैंध्हम (अभिभावक) नामनियुक्त करते हैंण् पती मैं पुष्टि करता हूं कि यह नामांकन मेरे द्वारा की गई किसी अन्य घोषणा, चाहे वह वसीयत के रूप में हो या अन्यथा को अप्रभावी करेगी तथा नामित व्यक्ति एयू स्मॉल फायनांस बैंक लि. की कस्टडी में रखे गए बंधक गोल्ड सिक्योरिटी को लौटाए जाने का हकदार बनाएगी, जिसके लिए अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर उसे एयू स्मॉल फायनांस बैंक लि. को देय सभी बकाया राशियों का भुगतान करना होगा. इसके अलावा, मैं पुष्टि करता हूं कि यह लौटाया जाना एयू स्मॉल फायनांस बैंक लिरिलीज तथा डिस्चार्ज करेगा.

स्वामित्व धारक के हस्ताक्षर

मैं, श्री/सुश्री _______________ एऐतदद्वारा घोषणा करते है कि यहां संदर्भित आभूषण मेर है तथा मैं उनका मालिक हूंण्

मेरे द्वारा प्रदान किया गया सोना पैत्रिक ☐ उपहार में प्राप्त ☐ स्वयं खरीदा हुआ है ☐ (जो लागू हो उस पर निशान लगाए)

For Official Use Only
कार्यालयीन प्रयोग के लिए

Loan Details (In case of Multi tranche) **Sanction Amount** .... **Disbursal Tranche 1**...............................**Disbursal Tranche 2** ....

Loan amount/Overdraft limit INR.. Loan account /Overdraft account No... Customer ID ....

Tenure........................... Rate of Interest*(Per Annum)*........................... Interest Payment Frequency......................... Penal charge on due amount
....

ऋण विवरण (बहु किश्त के मामले में) ....संवितरण किश्त 1................ संवितरण किश्त 2 ऋण राशि ध्ओवरड्राफ्ट सीमा प्छत (भारतीय रुपया)................. ऋइण खाता / ओवरड्राफ्ट खाता क्रमांक ग्राहक आईडी .... कार्यकाल ब्याज दर (प्रति वर्ष) .... ब्याज भुगतान आवृत्ति.....................देय राशि पर दंड शुल्क आरओआई ....

Mode of Disbursal: Account Credit ☐ Cash ☐ AU SFB Saving Bank Account ☐ Business Correspondent ☐

संवितरण का तरीका: खाता क्रेडिट ☐ नकद ☐ एयू एसएफबी बचत बैंक खाता ☐ प्यापार पत्व्यवहारी ☐

Appraisal Certificate

The gold ornaments referred to below are appraised by me as per norms. I certify and guarantee that the weight, fitness, purity, genuineness and valuation of the jewels described in the below given schedule are true and correct.
I hereby confirm that AU Small Finance Bank Limited. may grant INR............. (Rupees… ....only) by taking pledge of total jewellery of...........grams as security towards above said amount. Details of the gold are mentioned below.

मूल्यनिर्धारिण प्रमाणपत्र

नीचे उल्लिखित सोने के आभूषणों का मेरे द्वारा मानदंडों के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। मैं प मैं प्रमाणित करता/करती हूं और गारंटी देता/देती हूं कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित गहनों का वजन, फिटनेस, शुद्धता, वास्तविकता और मूल्य निर्धारण सत्या और सही हैद्य मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि एयू स्मॉल फायनांस बैंक लिमिटेड उपरोक्त राशि के प्रति सुरक्षा के रूप में .... ग्राम के कुल आभूषणों को गिरवी रखकर .... रुपये (रुपये... मात्)प्रदान कर सकता है। सोने का विवरण नीचे दिया गया है।

Details of the Pledged Articles (Gold Ornaments and Other Articles) *गिरवी वस्तुओं का विवरण (सोने के आभूषण और अन्य वस्तुएं)*						
S.No *क्रं. संख्या*	Full Details of Jewels Pledged *गिरवी आभूषणों का पूर्ण विवरण*	No of Items *मदो की संख्या*	Carat *कैरेट*	Gross Weight *सकल वजन*	Deductions *कटौती*	Net Weight *निवल वजन*

Jewellery Photo
आभूषण फोटो

Jewellery Photo
आभूषण फोटो

Remarks: --
टिप्पणी:...

1st Appraiser's Code and Name: -- Signature

प्रथम मूल्य निर्धारक का कोड और नाम: -- *हस्ताक्षर*

2nd Appraiser's Code and Name: -- Signature

दूसरा मूल्य निर्धारक का कोड और नाम : -- *हस्ताक्षर*

Declaration and Acknowledgement of Loan/overdraft facility

I accept the terms and conditions mentioned in the AU Small Finance Bank Limited. application attached herewith. I will repay the interest & principal on the stipulated date/s promptly. As security for the above facility, I have pledged the gold more fully mentioned in the appraisal certificate. I accept and acknowledge the receipt of INR……………..........….…...…. (Rupees……………............….............……………………….. ....only), Above Borrower Identified and Loan Sanctioned under the AU Small Finance Bank Limited. loan/overdraft facility.

ऋण /ओवरड्राफ्ट सुविधा की घोषणा और स्वीकृति

मैं इसके साथ संलग्न एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आवेदन में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करता ध् करती हूं। मैं निर्धारित तारीखों पर ब्याज और मूलधन का भुगतान तुरंत कर दूंगा / दूंगी। उपरोक्त सुविधा हेतु सुरक्षा स्वरुप सोना गिरवी रखा है जिसका विवरण मैंने अधिक पूर्ण रूप से मूल्य निर्धारण प्रमाण पत्र में किया है। मैं एयू स्मॉल फायनांस बैंक लिमिटेड ऋणओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत प्छत् (भारतीय रुपया) की प्राप्ति ____________ (रुपये_ ______________________________ केवल) उपरोक्त उधारकर्ता की पहचान की गई और ऋण स्वीकृत स्वीकार करता / करती हूँ और एतद्वारा पावती जारी करता / करती हूँ।

Demand Promissory Note

On demand I, ... unconditionally promise to pay AU Small Finance Bank Limited or order at its office or branch or wherever else demanded, a sum of INR…....……………… (Rupees……………………….……….....................only) for value received together with interest* at the rate of.............% per annum charged from date hereof until payment in full for value received.

Revenue Stamp
(Signature)

मांग वचन पत्र

मांग पर, मैं.............बिना शर्त के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड या उसके कार्यालय या शाखा में भुगतान करने का आदेश देता / देती हूँ या जहां कहीं भी मांग की जाती है मूल्य प्राप्त करने के लिए भुगतान पूर्ण होने तक इसकी तिथि से, ____________ की वार्षिक ब्याज दर के साथ रु.................(केवलरुपए) प्राप्त किए जाते हैं।

रसीदी टिकट
(हस्ताक्षर)

Date / *तिथि* …………………….........………
Place / *स्थान*………………………………

Acknowledgement of Loan/overdraft facility Application Form

Dear Sir / Madam,

We acknowledge receipt of Application No.………………..from Mr./Ms…………………………………………………………………………………………………… for Loan amount/overdraft facility of…..................... It is our endeavor to process the loan application as early as possible after receipt of all necessary documents as required by AU Small Finance Bank Limited. Your loan is governed by the above given terms & conditions.

ऋण ओवरड्राफ्ट सुविधा की पावती आवेदन फॉर्म

प्रिय सर / मैडम ,

हम श्री / सुश्री _______________ ऋण राशि रु ______________ से प्राप्त आवेदन संख्य ______________ की प्राप्ति की सूचना देते हैं। एयू स्मॉल बैंक लिमिटेड द्वारा आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ऋण आवेदन को जल्द से जल्द संसाधित करने का हमारा प्रयास है। आपका ऋण ऊपर दिए गए नियमों और शर्तों द्वारा शासित होता है।

Date / *तिथि* …../……../………..

For AU Small Finance Bank Limited., Authorized Official
एयू स्मॉल फायनांस बैंक लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी

Customer Copy
ग्राहक की प्रति

Sanction Cum Disbursal Order
स्वीकृति सह संवितरण आदेश

AU Small Finance Bank Limited Customer ID ....
एयू स्मॉल फायनांस बैंक लिमिटेड ग्राहक आईडी ....

Loan ID...
ऋण आईडी...

AU Small Finance Bank Limited. hereby sanctions a Loan/overdraft facility of INR ..../- (Rupees:...
....only) against the gold pledged by the borrower, as security, as per the appraisal certificate.
एयू स्मॉल फायनांस बैंक लिमिटेड , मूल्यांक प्रमाणपत्र के आधार पर गिरवी रखे सोने पर रु............................./– (रुपए...) के ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधा को स्वीकृत करता है।)

Mode of Disbursal: Account Credit ☐ Cash ☐ AU SFB Saving Bank Account ☐ Business Correspondent ☐
संवितरण का रीका: खाता क्रेडिट ☐ नकद ☐ एयू एसएफबी बचत बैंक खाता ☐ प्यापार पत्रव्यवहारी ☐

Details of the Pledged Articles (Gold Ornaments and Other Articles)
गिरवी वस्तुओं का विवरण (सोने के आभूषण और अन्य वस्तुएं)

S.No क्रं. संख्या	Full Details of Jewels Pledged गिरवी आभूषणों का पूर्ण विवरण	No of Items मदो की संख्या	Gross Weight सकल वजन

Jewellery Photo
आभूषण फोटो

Jewellery Photo
आभूषण फोटो

Borrower's Name / ऋणी का नाम ....
Number of Items / वस्तुओ की संख्य ....
Date of Sanction/Disbursal / स्वीकृतध् संवितरण तिथि ....
Loan/overdraft Amount/ ऋण/ओवरड्राफ्ट राशि:-.INR................................
Tenure / टवधि :- ....
Processing Fee / प्रोसेसिंग शुल्क:-........................+ GST
Rate of Interest* ब्याज दर*:-...............................% Per Annum / प्रतिवर्ष
Principal Payment Mode / मूल भुगतान मोड:....................................
Interest Payment Mode / ब्याज भुगतान का तरीका: ....
Penal charge on due amount / देय राशि पर दंड शुल्क आरओआइ:- ....
Stamp Charges / स्टाम्प शुल्क:-...
Total Gold Value as per Appraiser Valuation
मूल्यांकक द्वारा मूल्य निर्धारण के अनुसार सोने का कुल मूल्य..........................
Other Charges / अन्य शुल्क::::..
Purpose of Loan / ऋण का उद्देश्य:-...........................
22KT lending Rate Per Gram
22KT उधार दर प्रति ग्राम.:-..
Loan Maturity Date/ लोन के पूरा होने की तारीख:.................................

Foreclosure charges applicable: 1.5% of Loan Amount plus GST (If closed within 90 days from the date of disbursement)
पुरोबंध शुल्क लागू : ऋण राशि का 1.5% साथ ही GST (यदि संवितरण की तिथि से 90 दिन के अन्दर बंद किया गया हो)

Margin :- Borrower shall ensure that at any time aggregate amount outstanding is not more than 85% of value of pledged article or such other percentage as stipulated by lender time to time.
मार्जिन : उधारकर्ता यह सुनिचित करेगा कि किसी भी समय कुल राशि बकाया गिरवी रखी गयी 85% वस्तुओं के मूल्य कैसे अधिक या इस तरह के अन्य प्रतिशत के रूप में समय समय – पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित न हो।

Auction :- AU Small Finance Bank Limited. may auction the gold as per its policy incase of any breach of terms and conditions of loan application.
नीलामी : एयू स्मॉल फायनांस बैंक लिमिटेड नियम और शर्तों के उल्लंघन होने पर अपनई पॉलिसी के अनुसार सोने की नीलामी कर सकता है।

.

In case of non-payment of dues as per the terms of the facility, the loan account shall be treated as below,

(a) **Special Mention Accounts:**

The Bank identifies incipient stress in accounts by creating a sub asset category named Special Mention Accounts (SMA). It is considered as a corrective action plan to arrest slippages of standard assets to NPA status. Accordingly, Bank will classify it under three SMA subcategories as given below;

	SMA Categories	**SMA -0**	**SMA -1**	**SMA -2**
Basis For classification	Principal or Interest payment or any other amount wholly or partially overdue for	1-30 days	31-60 days	61-90 days

(b) **Non-Performing Assets classification:**

Non-Performing Asset (NPA) is a loan or an advance where Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.

Example:

a) **SMA -0**: If due date of a loan account is 31-Mar-2023, and full dues are not received before the Bank runs the day-end process for this date, then this account shall get tagged as SMA -0 and the date of SMS- 0 (overdue) shall be 31-Mar-2023.

b**) SMA -1**: If it continues to remain overdue, then this account shall get tagged as SMA -1 upon running dayend process on 30-Apr-2023 i.e. upon completion of 30 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA -1 classification for that account shall be 30-Apr-2023.

c) **SMA -2**: If the account continues to remain overdue, it shall get tagged as SMA -2 upon running day-end process on 30-May-2023 i.e. upon completion of 60 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA -2 classification for that account shall be 30-May-2023.

d**) NPA:** And if the account continues to remain overdue further, it shall get classified as NPA upon running day-end process on 29-June-2023 i.e. upon completion of 90 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of NPA classification for that account shall be 29-June-2023. Once the account is classified as NPA, details of the account (asset quality) will be notified to CIBIL which will impact the credit score of the borrower.

यदि सुविधा की शर्तों के अनुसार देय राशि का भुगतान नहीं होता है, तो ऋण खाते को निम्न प्रकार से लिया जाएगाए

a) विशेष रूप से उल्लिखित खाते (स्पेशल मेंशन अकाउंट्स):

बैंक स्पेशल मेंशन अकाउंट्स (एसएमए) नाम की एक सब एसेट कैटेगरी बनाकर खातों में शुरुआती दवाब का पता लगाता है। एनपीए की स्थिति में मानक संपत्तियों की चूकों को रोकने के लिए इसे एक सुधारात्मक कार्य योजना के रूप में लिया जाता है। तदानुसार, बैंक इसे नीचे दी गई तीन एसएमए उपश्रेणियों के तहत वर्गीकृत करता है;

	एसएमए श्रेणियां	एसएमए–0	एसएमए–1	एसएमए–2
वर्गीकरण का आधार	मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि हेतु पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय	1–30 दिन	31–60 दिन	61–90 दिन

b) गैर–निष्पादित आस्तियों का वर्गीकरणः

गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम राशि है जहां सावधि ऋण के संबंध में ब्याज औरध्या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

उदाहरणः

a) **एसएमए–0:** यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31–मार्च–2023 है, और इस तारीख को बैंक की दिन–समाप्ति प्रक्रिया से पहले पूर्ण देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो इस खाते को एसएमए–0 के रूप में टैग किया जाएगा और

b) **एसएमए–1 :** यदि यह अतिदेय बरकरार रहता है, तो इस खाते को 30–अप्रैल–2023 को दिवस–समाप्ति प्रक्रिया होने तक यानी लगातार अतिदेय रहने को 30 दिन पूरे होने पर एसएमए –1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदानुसार, उस खाते की एसएमए–1 वर्गीकरण की तिथि 30–अप्रैल–2023 होगी।

c) **एसएमए –2:** यदि खाता अतिदेय बरकरार रहता है, तो इसे 30–मई–2023 को दिवस–समाप्ति प्रक्रिया होने तक यानी लगातार अतिदेय रहने के 60 दिन पूरे होने पर एसएमए–2 के रूप में टैग किया जाएगा। तदानुसार, उस खाते की एसएमए–2 वर्गीकरण की तिथि 30–अप्रैल–2023 होगी।

d) **एनपीएः** और यदि तब भी खाता अतिदेय स्थिति में ही रहता है, तो इसे 29–जून–2023 को, यानी लगातार अतिदेय स्थिति में रहने के 90 दिन पूरे होने पर, दिवस–समाप्ति प्रक्रिया होने तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदानुसार, उस खाते की एनपीए वर्गीकरण की तिथि 29 –जून –2023 होगी। खाते के एनपीए रूप में वर्गीकृत होने के बाद, खाते के विवरण (परिसंपत्ति की गुणवत्ता) के बारे में ब्प्ब्प्स् को सूचित किया जाएगा जिसका असर उधारकर्ता के क्रेडिट

Repayment Schedule / पुनर्भुगतान अनुसूची

S.No क्रं. संख्या	Date दिनांक	Activity गतिविधि	Amount मात्रा	Interest दिलचस्पी	Principal प्रधानाचार्य	Balance संतुलन

Declaration

I accept the terms and conditions mentioned in the AU Small Finance Bank Limited. application signed by me. I will repay the interest & principal on the stipulated date/s promptly. As security for the Loan/overdraft facility, I have pledged the Gold more fully mentioned in the appraisal certificate.

घोषणापत्र

मैं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एयू स्मॉल फायनांस बैंक लिमिटेड के आवेदन में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करता/ करती हूं। मैं निधारित तिथि पर ब्याज और मूलधन तुरंत चुकाऊंगा। ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में, मैंने मूल्यांकन प्रमाणपत्र में गोल्ड का पूरी तरह से उल्लेख किया है।

AU SMALL FINANCE BANK

Declaration Cum Terms and Conditions of Loan/Overdrat facility Collateralized by Gold

I hereby agree to abide by the following terms and conditions

1. That all particulars / information given in this Form are true and complete and no material information has been suppressed / withheld. That the Lender shall have no liability for any consequences arising out of any erroneous details provided by the Borrower

2. That the Borrower is the owner and is in possession of the Gold for which the Borrower has created a first and exclusive charge by way of pledge in favor of the Lender during the tenor of the loan / overdraft facility as per the terms and no other person/entity will claim the ownership of the said security other than the Borrower who signed the Form.

3. That on the basis of the value of the said pledge as set out in the valuation report supplied by the empaneled assayer of the Lender, the Lender would provide such loan/overdraft amount as per the eligibility and as per the Lenders internal policy.

4. That only gold component of the pledged articles (if any) shall be considered for any valuation purposes and Lender will not consider the value of stone or diamond embedded in jewelry/ornaments at any time including at the time of loss replacement.

5. That if subsequent to the pledge, the Gold is found to be fake or spurious or of lesser purity during audit or otherwise, or stolen, the Lender reserves the right to initiate appropriate investigation/criminal action as deemed fit. On account of this if any loss is incurred by the Lender, the Borrower shall be solely liable and responsible for the same.

6. That the Lender can carry out such credit checks/credit bureau checks/ background / residence / office verifications and at such time as it may deem necessary either directly or through a third party.

7. That the Borrower shall utilize the loan / overdraft facility solely for the purpose stated in the Application Form and will not be use it for any speculative, unlawful, illegal or anti-social purpose.

8. That the Lender shall disclose such required information/documents to any statutory, quasi-judicial, regulatory authorities as may be required by the Lender. The Borrower waives the privilege of privacy and privity of contract in such cases.

9. That the Lender shall disburse the loan / create an overdraft facility to/for the Borrower as a lump sum amount in a single tranche or in suitable tranches depending upon the needs of the Borrower, against pledge of Gold based on certain representations as mentioned under this facility by the Borrower to the Lender.

10. That the rate of Interest shall be calculated for the principal outstanding amount to be payable by the Borrower. Interest on the Loan will begin to accrue from the date of first disbursement of the loan / creation of an overdraft facility of the Loan.

11. That the Penal charge shall mean a charge which will start accruing on any amount which remains outstanding and payable by the Borrower to the Lender as per this Application Form, whether the amount is the principal amount of the loan / overdraft facility, or the interest payable or any other dues and such accrual shall commence from the date of default.

12. That the rate of interest being offered is linked to MCLR/10-year government security yield plus applicable margin depending on the product chosen for disbursement by the Borrower.

13. That unless otherwise agreed by the Lender, in case if any amount is prepaid by the borrower when he avails a Bullet loan/Monthly Interest payment loan/Overdraft facility, the same shall be adjusted first towards the principal, then towards interest and then towards any charges that are due from the customer and in case if any amount is paid after the due date the same shall be first adjusted towards due interest and then principal outstanding and then other charges.

14. That the borrower shall pay on the respective due dates in full and all other amounts payable under this facility without any demur, protest or default and without claiming any set-off or counter claim on the respective due dates. Failure to send notice, reminder or intimation by the Lender to the Borrower however does not preclude the Borrower from his liability of payment of interest and other dues on the facility availed.

15. That the Borrower shall repay the dues and overdue of the Loan/overdraft amount in the mode suggested by the Lender at the place as agreed between the Parties which can be office of the Lender. The term dues means and includes the principal/interest/charges levied on the loan account and which are payable with the period as stipulated in the Sanction Letter and the term overdue means penal charge levied on the facility the dues for which have not been paid on the due date.

16. That the security created herein shall also be security for all other monies that may be due and payable by the Borrower to the Lender, on any account whatsoever, whether present or future, including any liability of the Borrower as a surety either singly or along with any other person. The Lender may any time and without notice to the Borrower, combine or consolidate all or any of the Borrowers accounts with any liabilities to the Lender and set off or transfer any sum or sums standing to the credit of any one or more of such accounts in or towards satisfaction of any of the Borrowers liabilities to Lender on any other account or in any other respect, whether such liabilities be actual or contingent.

17. That the Lender shall have the right to create charge over the pledged security of the Borrower, in favor of any bank, institution or body by way of security for any refinance facility or any loan availed by the Lender from such bank, institution or body.

18. That the Lender reserves the right to assign/sell/securitize the Loan with or without security, if any, in any manner by transferring and/or assigning or otherwise all its right, title and interest which the Lender deems appropriate and the Borrower hereby expressly agrees that in that event, the Lender is not required to obtain any permission or put any notice to the Borrower. The Borrower shall accept any such securitization and any such sale, assignment, or transfer and the Borrower shall accept such other party (s) as creditors exclusively or as a joint creditor with the Lender, or as a creditor exclusively with the right of Lender to continue to exercise all powers hereunder on behalf of any such otherparty.

19. That the Borrower shall ensure that at all times aggregate amounts outstanding under this facility is as per the guidelines of the sanctioned facility or such other percentage as stipulated by Lender from time to time ("Margin") and if the value of the Pledged Articles is less than the Margin requirements, the Lender may demand creation of additional security or repayment of loan/outstanding overdraft amount in part or in full. The Borrower shall promptly upon such demand comply with the requirement. Additionally, if there exists any circumstance which may materially affect the ability of Borrower to fulfil its obligations under this facility, the Lender may sell the Gold in public auction at any time by following the due process of law, even before the expiry of the tenure of the said facility.

20. That the Lender may, without assigning any reason and upon notice in writing to the Borrower, cancel in full or in part the Loan/overdraft facility and demand repayment thereof in case of an event of default. Upon such notice, all dues including outstanding Loan/utilized overdraft facility along with interest and any other charges, shall become forthwith due and payable by the Borrower to Lender and the failure of which will trigger the auction of the ornaments pledged. The following events shall constitute events of default under this facility ("Events of Default"):

I. If the loan and/or Interest and any other charges, expenses, costs which are to be paid as per the terms mentioned herein are not paid on their respective due dates/maturity date. The Bank shall immediately recognize the incipient stress in loan accounts immediately on occurrence of an event of default by classifying them as Special Mention Accounts (SMA). If dues are not paid on due date and upto 30 days from the maturity date, it will be classified as SMA 0, for dues not paid from 31days to 60 days, it will be classified as SMA 1 and for dues not paid from 61 days to 90 days, it will be classified as SMA 2. Additionally, if dues are not paid on the 91st day or beyond, all loan accounts held by the customer whether due or not due will be classified as Non-Performing Asset (SMA).
II. If any representations or statements or particulars made in the Form for the Loan/overdraft facility is found to be false, misleading or incorrect;
III. Upon detection of any systemic fraud in relation to the quality of the gold pledged by the Borrower with the Lender;
IV. If the value of the gold security falls lower than the required margin of the Lender as applicable from time to time, due to change in market price or any other reason;
V. iIf the security pledged is found to be of inferior quality or if found to be spurious.
VI. In the event of insolvency, failure in business, commission of an act of bankruptcy by the Borrower and in the event there is a reasonable apprehension that the Borrower would become the subject of proceedings under any bankruptcy or insolvency law;
VII. The security pledged and/or to be pledged with the Lender, for the Loan/overdraft facility is in jeopardy or ceases to have effect;

21. That in case of any of the Events of Default, the Lender shall have the right to take any of the following step(s):

I. To call upon the Borrower to pay forthwith the outstanding balance of the Loan/overdraft facility along with interest / penal charge thereon and all sums payable by the Borrower as per the terms of the facility;

II. To call upon the Borrower to pay all claims, costs, losses and expenses, etc that may be incurred by the Lender as a result of any act or default on the part of the Borrower with respect to the Loan/overdraft facility and/or for the recovery of the outstanding dues (including legal/attorney fees) and/or on account of failure of the Borrower to fulfil any of the terms and conditions under the facility;

III. To sell the Gold Security in the open market by auction or by any other means as permissible under applicable laws. The auction shall be conducted by the Lender in compliance with the applicable law, by giving public notification of auction / advertisement and in compliance with the guidelines issued by RBI from time to time, after giving the Borrower a notice in writing of -7- (Seven) days which the Borrower agrees is a reasonable period for the purposes of Section 176 of the Contract, 1872. The proceeds so realized from the sale of the pledged articles shall be utilized towards the repayment of dues under the Loan/overdraft facility. In the event that the proceeds so realized are insufficient to meet the amount of dues, then the Borrower will be personally liable to make good the deficit and the Lender reserves its right to take further action for loss recovery. In case an excess amount is left after adjusting the sale proceedings against the outstanding dues of all active Loan/overdraft facility of the borrower, then the Lender may first exercise the right of set off and lien and if there is any balance amount, the same shall be refunded to the Borrower through DD/electronic transfer/account transfer. Such sale made by the bank cannot be disputed by the Borrower in any manner whatsoever and the bank will not be liable for any loss which may be incurred by the Borrower on such sale;

22. That any notice (including notice of sale of Gold security) shall be sent to the Borrower(s) address mentioned in the Application Form and may be sent through Registered Post Acknowledgment Due (RPAD); or Courier; or Hand delivery; or via email at the email address mentioned in the Application Form. Such services shall be deemed to have been served in case of delivery by hand on the date on which it is delivered and in case of delivery by RPAD / courier, post the expiry of the 7th day of such posting and in the case of email, on receiving the delivery report of the same.

23. That this Form (which constitutes an agreement) shall be governed by and construed in all respects with the Laws in India and the Parties hereby mutually agree that any matter or issues arising hereunder, or any dispute hereunder shall, at the option/discretion of the Lender, be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Jaipur, Rajasthan. This shall however, not limit the rights of the Lender to file/take proceedings in any other Court of Law or Tribunal of Competent Jurisdiction. The terms and conditions agreed under this facility shall be binding on the Parties on and from the date of execution hereof. It shall be in full force till the loan / overdraft facility is fully amortized/repaid along with any other amount due and payable to the Lender and fully settled under this facility as well as all other agreements, documents which may be subsisting/ executed between the Parties in this regard.

24. The Borrowers can contact through the toll-free helpline number 1800 313 313 or nearby branch for clarifications, if any, or for filing their grievances if they experience any inappropriate behaviour by any of the staff of the Bank.

25. Declaration on relationship: The Borrower declares, assures and states that, except as mentioned hereunder, the Borrower is not a director nor relative* of any director or none of its directors/ partners /members (if the Borrower is a company/partnership firm) is a director of the Bank or any other Banks including Scheduled Co-operative Banks, subsidiaries/ trustees of mutual funds/ venture capital funds and the Borrower is not a relative* or none of its directors/ partners/ members (if the Borrower is a company/ partnership firm) of any Senior Officer* of the Bank or of any other Banks *The term 'Senior Officer' means an officer of the Bank, who is in equivalent scale as an officer in senior management level in Grade IV any officer and above in a nationalised bank or any officer in equivalent scale in the State Bank of India and associate banks and in any banking company incorporated in India. *The term "relative" shall mean and include any or all of the following persons: (a) Spouse (b)Father (c) Mother (including step-mother) (d) Son (including step-son) (e) Son's Wife (f) Daughter (including step-daughter) (g) Daughter's Husband (h) Brother (including step-brother) (i) Brother's wife (j) Sister (including step-sister) (k) Sister's husband (I)Brother (including step-brother) of the spouse (m) Sister (including step-sister) of the spouse. The Borrower makes the above declaration solemnly and sincerely believing the same to be true and knowing fully well that on the faith and strength of the correctness thereof the Bank has agreed to grant the Facility. The Borrower also agrees that it is a condition of the grant of the Facilities that if any statement made with reference to the above is found to be false at any time the Bank shall at liberty and entitled to revoke the Facilities. (OR) The Borrower declares that the Borrower is related to the directors and /or Senior Officer(s) of the Bank or of any other Banks as specified hereto:

S.No	Name of Director (s) / Senior Officer (s)	Designation	Relationship
1			
2			
3			

Name: --------------------------------

Registered Office Address
AU Small Finance Bank Limited
19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001

AU SMALL FINANCE BANK

ऋण की घोषणा सह नियम और शर्तें गोल्ड द्वारा संपार्श्वीकीकृत ओवरड्राफ्ट सुविधा:

ऋणकर्ता, एतद्वारा, निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं,

1. यह कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त ब्यौरे/सूचनाएं सत्या और पूर्ण हैं और किसी भी आवयक जानकारी को छुपाया/रोका नहीं गया है। यह कि ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी गलत विवरण से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए ऋणदाता का कोई दायित्व नहीं होगा

2. यह कि ऋणी मालिक है और उसके पास वह सोना है जिसके लिए ऋणकर्ता ने ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि के दौरान शर्तों के अनुसार ऋणदाता के पक्ष में गिरवी के रूप में पहला और अनन्य प्रभार सृजित किया है और कोई अन्य व्यक्ति /निकाय फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले ऋणी के अलावा उक्त सुरक्षा के स्वामित्व का दावा नहीं करेगी

3. यह कि ऋणदाता के पैनल में शामिल जांचकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्धारित उक्त रेहन के मूल्य के आधार पर, ऋणदाता पात्रता के अनुसार और ऋणदाता की आंतरिक नीति के अनुसार ऐसी ऋण/ओवरड्राफ्ट राशि प्रदान करेगा

4. हर प्रकार के मूल्यांकन उद्देयों के लिए गिरवी रखी वस्तुओं (यदि कोई हो) के केवल सोने के घटक को ही स्वीकारा जाएगा और ऋणदाता किसी भी समय हानि प्रतिस्थापन के समय गहनों/आभूषणों में लगे हुए नगों या हीरे के मूल्य पर विचार नहीं करेगा।

5. यह कि यदि गिरवी के बाद, सोना नकली या जाली पाया जाता है या ऑडिट के दौरान कम शुद्धता वाला या अन्यथा पाया जाता है, या चोरी हो जाता है, तो ऋणदाता के पास उचित जांच/आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके कारण यदि ऋणदाता को कोई नुकसान होता है, तो ऋणी उसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा

6. यह कि ऋणदाता ऐसी क्रेडिट जांच/क्रेडिट ब्यूरो जाँच/पृष्ठभूमि/निवास/कार्यालय सत्यापन कर सकता है और ऐसे समय पर जो आवयक समझे या तो सीधे या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से कर सकता है

7. यह कि ऋणी ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग केवल आवेदन पत्र में बताए गए उद्देय के लिए करेगा और इसका उपयोग किसी सट्टा, गैरकानूनी, अवैध या असामाजिक उद्देय के लिए नहीं करेगा।

8. यह कि ऋणदाता ऐसी आवश्य क जानकारी/दस्तावेजों को किसी भी वैधानिक, अर्ध–न्यायिक, नियामक प्राधिकरणों को प्रकट करेगा जिनकी ऋणदाता को आवयकता हो सकती है। उधारकर्ता ऐसे मामलों में गोपनीयता और अनुबंध की गोपनीयता के विशेषाधिकार का त्याग करता है

9. यह कि ऋणदाता इस के तहत उल्लिखित कुछ नियमों के आधार पर सोने को गिरवी रखने के एवज में, ऋण लेने वाले को/उधारकर्ता को एकमुत राशि के रूप में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को एक एकल कित या उपयुक्त कितों में ऋण दिया जाएगा/ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध की जाएगी।

10. यह कि उधारकर्ता द्वारा देय मूल बकाया राशि के लिए ब्याज दर की गणना की जाएगी। ऋण के प्रथम संवितरण/ऋण की ओवरड्राफ्ट सुविधा के निर्माण की तारीख से ही ऋण पर ब्याज उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा।

11. यह कि दंडात्मक शुल्क का अर्थ ऐसे शुल्क से होगा जो इस आवेदन पत्र के अनुसार ऋणदाता के प्रति बकाया और देय किसी भी राशि पर उधारकर्ता द्वारा अर्जित किया जाएगा, चाहे वह राशि ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा की मूल राशि हो, या ब्याज देय या कोई अन्य देय राशि और यह प्रोद्भवन चूक की तारीख से शुरू होगा।

12. यह कि दी जा रही ब्याज दर उधारकर्ता द्वारा संवितरण के लिए चुने गए उत्पाद के आधार पर एमसीएलआर/10–वर्षीय सरकारी सुरक्षा प्रतिफल और लागू मार्जिन से जुडी हुई है।

13. यह कि जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, यदि उधारकर्ता द्वारा बुलेट ऋणध्मासिक ब्याज भुगतान ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाते समय कोई राशि प्रीपेड की जाती है, तो इसे पहले मूलधन के लिए समायोजित किया जाएगा, फिर ब्याज के लिए और फिर ग्राहक से देय कोई भी शुल्क के लिए और यदि देय तिथि के बाद किसी भी राशि का भुगतान किया जाता है तो उसे पहले देय ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा, और फिर मूलधन बकाया और फिर अन्य शुल्क के लिए समायोजित किया जाएगा।

14. यह कि उधारकर्ता संबंधित देय तिथियों पर पूरी तरह से और इस सुविधा के तहत देय अन्य सभी रायों का भुगतान बिना किसी आपत्ति, विरोध या चूक के और संबंधित देय तिथियों पर किसी भी सेट–ऑफ या काउंटर दावे के बिना करेगा। हालांकि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को नोटिस, अनुस्मारक या सूचना भेजने में विफलता उधारकर्ता को प्राप्त सुविधा पर ब्याज और अन्य देय राशि के भुगतान के अपने दायित्व से नहीं रोकता है।

15. यह कि उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा सुझाए गए तरीके से ऋण/ओवरड्राफ्ट राशि के बकाया और अतिदेय को पार्टियों के बीच उस स्थान पर चुकाएगा जिसके लिए सहमति हो गई है, जो कि ऋणदाता का कार्यालय हो सकता है। बकाया अवधि का अर्थ है और इसमें ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/प्रभार शामिल हैं और जो स्वीकृति पत्र में निर्धारित अवधि के साथ देय हैं और अवधि अतिदेय का अर्थ उस सुविधा पर लगाया गया दंडात्मक शुल्क है जिसके लिए बकाया राशि का भुगतान नियत तारीख पर नहीं किया गया है।

16. यह कि यहां सृजित सुरक्षा, किसी भी खाते के प्रति, अन्य सभी धन के लिए भी सुरक्षा होगी जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के प्रति बकाया और देय हो सकता है, चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में हो, इसमें एकल या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जमानतदार के रूप में उधारकर्ता का किसी भी प्रकार का दायित्व भी शामिल है। ऋणदाता किसी भी समय और बिना किसी सूचना के उधारकर्ता को, ऋणदाता के प्रति किसी भी देनदारियों के साथ सभी या किसी भी उधारकर्ता के खातों को संयोजित या समेकित कर सकता है और ऐसे किसी एक या अधिक खातों के क्रेडिट या किसी अन्य खाते पर या किसी अन्य संबंध में ऋणदाता की देनदारियों में से किसी की संतुष्टि के लिए, चाहे ऐसी देनदारियां वास्तविक हों या आकस्मिक हों के लिए खडी किसी भी राशि या राशियों को व्यवस्थित या अंतरित कर सकता है।

17. यह कि ऋणदाता को किसी भी पुनर्वित्त सुविधा या ऐसे बैंक, संस्था या निकाय से ऋणदाता द्वारा लिए गए किसी भी ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में किसी भी बैंक, संस्था या निकाय के पक्ष में उधारकर्ता की गिरवी रखी गई सुरक्षा पर प्रभार सृजित करने का अधिकार होगा।

18. यह कि ऋणदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ऋण को बिना प्रतिभूति के, यदि कोई हो, किसी भी तरीके से हस्तांतरित औरध्या असाइन करके या अन्यथा ऋण देने/बेचने/प्रतिभूतिकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे ऋणदाता उचित समझता है और उधारकर्ता एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि उस स्थिति में, ऋणदाता को किसी भी अनुमति प्राप्त करने या उधारकर्ता को कोई नोटिस देने की आवयकता नहीं है। उधारकर्ता इस तरह के किसी भी प्रतिभूतिकरण और ऐसी किसी भी बिक्री, असाइनमेंट, या हस्तांतरण को स्वीकार करेगा और उधारकर्ता ऐसे अन्य पक्ष (पार्टियों) को विशेष रूप से लेनदारों के रूप में या ऋणदाता के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में, या एक लेनदार के रूप में विशेष रूप से किसी भी ऐसे अन्य पक्ष की ओर से सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखने के लिए ऋणदाता के अधिकार के साथ स्वीकार करेगा।

19. यह कि उधारकर्ता को यह सुनिचित करना होगा कि इस सुविधा के तहत बकाया कुल राशि हर समय स्वीकृत सुविधा के दिशानिर्देशों या समयत्रासमय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित अन्य प्रतिशत (मार्जिन) के अनुसार है और यदि गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्य मार्जिन आवयकताओं से कम है, ऋणदाता अतिरिक्त प्रतिभूति के सृजन या ऋण/बकाया ओवरड्राफ्ट राशि के आंिक या पूर्ण भुगतान की मांग कर सकता है। उधारकर्ता ऐसी मांग पर तुरंत आवयकता का अनुपालन करेगा। इसके अतिरित, यदि ऐसी कोई परिस्थिति उपस्थित है जो इस सुविधा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उधारकर्ता की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, तो ऋणदाता किसी भी समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके, उक्त सुविधा की अवधि के समापन से पूर्व भी सार्वजनिक नीलामी के द्वारा सोना बेच सकता है।

20. *यह कि ऋणदाता, बिना कोई कारण बताए और ऋणी को लिखित में नोटिस देकर, ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा को पूर्ण रूप से या आंिक रूप से निरस्त कर सकता है और चूक की स्थिति में उसके पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है। इस तरह के नोटिस पर, बकाया ऋण / उपयोग की गई ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित ब्याज और किसी भी अन्य शुल्क सहित सभी बकाया, ऋणी के पक्ष में ऋणदाता के प्रति तुरंत देय हो जाएंगे और इसकी विफलता गिरवी रखे गए गहनों की नीलामी का मार्ग प्रास्त करेगी।निम्नलिखित स्थितियां इस सुविधा के तहत डिफ़ॉल्ट स्थितियों का गठन करेंगी (डिफोल्ट की घटनाएँ):*

I. *यदि उल्लिखित शर्तों के अनुसार किए जाने वाले ऋण औरध्या और किसी भी अन्य शुल्क, व्यय, लागत का भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियोंध्परिपक्वता तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, बैंक तुरंत डिफोल्ट की घटना होने पर ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके इनकी पहचान करेगा। यदि देय तिथि पर और परिपक्वता तिथि से 30 दिनों तक देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे एसएमए 0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, 31 दिनों से 60 दिनों तक देय राशि का भुगतान न किए जाने पर, इसे एसएमए 1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और 31 दिनों से 90 दिनों तक भुगतान नहीं किए जाने के लिए, इसे एसएमए 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त , यदि 91वें दिन या उसके बाद देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ग्राहक द्वारा देय या नहीं देय सभी ऋण खातों को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।*

II. *यदि ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए फॉर्म में दिया गया कोई उल्लेख या विवरण या विवरण गलत,भ्रामक या गलत पाया जाता है।*

III. *उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के पास गिरवी रखे गए सोने की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी सिस्टेमेटिक धोखाधडी का पता चलने परय*

IV. *यदि बाजार मूल्य में बदलाव या किसी अन्य कारण से समयत्रसमय पर लागू होने वाले ऋणदाता के आवयक मार्जिन से सोने की प्रतिभूति का मूल्य कम हो जाता है।*

V. *यदि गिरवी रखी गई प्रतिभूति घटिया गुणवत्ता की पाई जाती है या नकली पाई जाती है।*

VI. *दिवालिया होने पर, व्यवसाय में विफलता होने पर, ऋणी द्वारा दिवालिएपन के कृत में लिप्त होने पर और ऐसी स्थिति में जिसमें उचित आशंका है कि उधारकर्ता किसी दिवालियापन या दिवाला कानून के तहत कार्यवाही का विषय बन जाएगा है।*

VII. *ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए गिरवी रखी गई और/या ऋणदाता के पास गिरवी रखी जाने वाली प्रतिभूति किसी जोखिम में है या उसका प्रभाव समाप्त हो गया है।*

21. *यह कि किसी भी चूक की घटना के मामले में, ऋणदाता को निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठाने का अधिकार होगा:*

I. *उधारकर्ता से ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा की बकाया राशि के साथ–साथ उस पर ब्याज / दंडात्मक शुल्क और सुविधा की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा दिया गया सभी राशियों का भुगतान करने का आहवान करनाय:*

II. *ऋणी को ऋण 2 ओवरड्राफ्ट सुविधा के संबंध में उधारकर्ता की ओर से किसी भी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप और / या बकाया देय राशि (कानूनी/वकील शुल्क सहित) की वसूली के लिए और/या सुविधा के तहत किसी भी नियम और शर्तों को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के कारण ऋणदाता द्वारा किए गए सभी दावों, लागतों, हानियों और खर्चों आदि का भुगतान करने के लिए कहनाय*

III. *खुले बाजार में नीलामी द्वारा या लागू कानूनों के तहत अनुमत किसी अन्य माध्यम से सोने की प्रतिभूति बेचने के लिए, ऋणदाता द्वारा नीलामी/विज्ञापन की सार्वजनिक सूचना देकर तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समयत्रसमय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, ऋणदाता को –7– की लिखित सूचना देने के बाद, जिस पर ऋणी सहमत है, जोकि अनुबंध, 1872 की धारा 176 के प्रयोजनों के लिए एक उचित अवधि है, लागू कानून के अनुपालन में नीलामी आयोजित की जाएगी। गिरवी रखी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा। इस स्थिति में कि इस प्रकार वसूल की गई राशि बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो ऋणी व्यक्तिगत रूप से घाटे को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऋणदाता के पास नुकसान की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि उधारकर्ता की सभी सक्रिय ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा की बकाया देय राशि के विरुद्ध बिक्री कार्यवाही को समायोजित करने के बाद एक अतिरिक्त राशि छोड दी जाती है, तो ऋणदाता पहले सेट ऑफ और ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग कर सकता है और यदि कोई शेष राशि है, तो वही ऋणी को डीडी/इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण/खाता हस्ता तरण के माध्यम से वापस की जाएगी। बैंक द्वारा की गई इस तरह की बिक्री पर उधारकर्ता द्वारा किसी भी तरह से विवाद नहीं किया जा सकता है और बैंक उधारकर्ता को ऐसी बिक्री पर होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगाय*

22. *यह कि प्रत्येाक नोटिस (सोने की प्रतिभूति की बिक्री की सूचना सहित) आवेदन पत्र में उल्लिखित ऋणी के पते पर भेजा जाएगा और इसे पंजीकृत डाक पावती देय (आरपीएडी) के माध्यम से या कूरियर या हाथ वितरण या आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। इस तरह की सेवाओं को डिलीवरी की तारीख पर हाथ से डिलीवरी के मामले में और आरपीएडी / कूरियर द्वारा डिलीवरी के मामले में, ऐसी पोस्टिंग के 7 वें दिन की समाप्ति के बाद और ईमेल के मामले में उसकी डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर माना जाएगा।*

23. *यह कि यह फॉर्म (जो एक अनुबंध सृजित करता है) भारतीय कानूनों द्वारा शासित और माना जाएगा और पार्टियां परस्पर सहमत हैं कि कोई भी मामला या इसके तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दे, या इसके तहत कोई विवाद,ऋणदाता के विकल्प/विवेक पर, जयपुर, राजस्थान के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। हालांकि, यह ऋणदाता के अधिकारों को किसी अन्य न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण में फाइल करने/कार्यवाही करने के लिए सीमित नहीं करेगा। इस सुविधा के तहत सहमत नियम और शर्तें इसके निष्पादन की तारीख से पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होंगी। यह पूरी तरह से तब तक लागू रहेगा जब तक कि ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा पूरी तरह से परिशोधित/पुनर्भुगतान नहीं कर दी जाती है और ऋणदाता को उसका बकाया और देय किसी अन्य राशि के साथ और इस सुविधा के तहत पूरी तरह से निपटाया जाता है साथ ही अन्य सभी समझौते, दस्तावेज जो इस संबंध में पार्टियों के बीच मौजूद/निष्पादित हो सकते है*

24. *किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, या बैंक के किसी स्टाफ के अनुचित व्यवहार की शिकायत दर्ज करने के लिए उधारकर्ता टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 313 313 पर या निकटवर्ती शाखा से संपर्क कर सकते हैं।*

25. *रिश्ते पर घोषणा : उधारकर्ता घोषणा करता है, आश्वासन देता है और बताता है कि, जैसा कि यहां बताया गया है, को छोड़कर, उधारकर्ता न तो निदेशक है और न ही किसी निदेशक का रिश्तेदार'है या इसके निदेशकों / साझेदारों / सदस्यों में से किसी का नहीं है (यदि उधारकर्ता एक कंपनीध् साझेदारी फर्म है) बैंक या अनुसूचित सहकारी बैंकों, म्यूचुअल फंडों / उद्यम पूंजी निधियों की सहायक कंपनियों / न्यासियों सहित किसी भी अन्य बैंक का निदेशक है और उधारकर्ता इसका कोई रिश्तेदार'या इसके निदेशकों / साझेदारों / सदस्यों में से कोई नहीं है (यदि उधारकर्ता है) बैंक या किसी अन्य बैंक के किसी वरिष्ठ / अधिकारी की कंपनी / साझेदारी फर्म है ' 'वरिष्ठ अधिकारी, शब्द का अर्थ बैंक का एक अधिकारी है, जो ग्रेड प्ट में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के एक अधिकारी के समकक्ष वेतनमान में है। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकारी और उससे ऊपर का अधिकारी या भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में और भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी में समकक्ष स्तर का कोई अधिकारी। 'शब्द ''रिश्तेदार'' का अर्थ निम्नलिखित में से किसी एक या सभी व्यक्तियों से होगा (र) जीवनसाथी (ल) इद्ध पिता (ल) बद्ध मां (सौतेली मां सहित) (व) कद्ध बेटा (सौतेले बेटे सहित) (श)मद्ध बेटे का पती (ष) द्वि बेटी (सौतेली बेटी सहित) (स)हद्ध बेटी का पति (ह) भाई (सौतेले भाई सहित) (ळ)पद्ध भाई की पती (क्ष)रद्ध बहन (सौतेली बहन सहित) (ज्ञ) बहन का पति (श्र)सद्ध भाई पतिध्पती की (सौतेले भाई सहित) (ı)उद्ध पतिध्पती की बहन (सौतेली बहन सहित)। उधारकर्ता उपरोत घोषणा पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करता है और इसे सत्या मानता है और यह अच्छी तरह से जानता है कि इसकी सत्याता के विश्वास और ताकत पर बैंक सुविधा देने के लिए सहमत हो गया है। उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि सुविधाएं प्रदान करने की यह शर्त है कि यदि उपरोत के संदर्भ में दिया गया कोई भी बयान किसी भी समय गलत पाया जाता है तो बैंक स्वतंत्र होगा और सुविधाओं को रद्द करने का हकदार होगा। (या) उधारकर्ता घोषणा करता है कि उधारकर्ता बैंक या यहां निर्दिष्ट किसी अन्य बैंक के निदेशकों औरध्या वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित है*

एसएल नं	निदेशक / वरिष्ठ अधिकारी का नाम	पद का नाम	संबंध

नाम: ---

Registered Office Address
AU Small Finance Bank Limited
19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001